Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एलआर / 5603 / 2005 / झालावाड

अशोक कुमार पुत्र ब्रदीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भगवानपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

अपीलाण्ट

बनाम

कृष्णावतार पुत्र रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी भगवानपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

रेस्पोडेण्ट

एकलपीठ
श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट बाबजूद सूचना अनुपस्थित अतः उनके उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

निर्णय

दिनांक 8.3.18

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–11–2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतक बिहारीलाल की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 213 ग्राम पंचायत, भगवानपुरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23–3–99 द्वारा कृष्णावतार पुत्र रामनाथ के नाम दर्ज करने के आदेश दिए । उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलाण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 1–2–2001 द्वारा अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत भगवानपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–3–99 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, भगवानपुरा को प्रेषित कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्व रेस्पोडण्ेट कृष्णावतार पुत्र रामनाथ ने अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 2–1–2002 द्वारा

खारिज कर दिया । इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के निर्णय दिनांक 1–2–2001 की पालना में तहसीलदार, खानपुर ने प्रकरण में सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 6–11–03 द्वारा अपीलाण्ट अशोक कुमार, रामकुमार, ब्रदीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिएं जिसके विरूद्व रेस्पोडेण्ट एक अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष पेश की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 8–11–05 द्वारा स्वीकार किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

तहसीलदार में यह माना है कि रेकार्ड व बयानों से कृष्णावतार श्री मोतीलाल व बिहारीलाल के गोद नसीब जाना बताया है जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक व्यक्ति दो व्यक्तियों के गोद नसीब नहीं जा सकता है । अतः बिहारीलाल के खाते की आराजी श्री बद्रीलाल के फौत होने से उसकी सुलभी पुत्र श्री अशोक कुमार रामकुवार के खाते दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है । अतः ग्राम रामपुरा एवं ग्राम भगवान पुरा की आराजी में से बिहारीलाल आत्मज खेमसुख के हिस्से की आराजी अशोक कुमार व रामकुमार आत्मज ब्रदीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भगवानपुरा के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 8–11–05 में यह माना है कि नामान्तकरण संख्या 213 ग्राम रामपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील खानपुर निर्णित करते समय पटवारी हल्का ने जो सजरा तैयार किया है वह सजरा ग्राम पंचायत से प्रमाणित किया गया है तथा इस सजरे के अनुसार मृतक खातेदार श्री बिहारीलाल पुत्र श्री खेमसुख के तीन भाईयों श्री जगन्नाथ, श्री रामनाथ व श्रीमोतीलाल उर्फ श्री गोरीलाल थे । मृतक खातेदार श्री बिहारीलाल अविवाहित था । श्रीबिहारीलाल की मृत्यु के समय उसके तीनों भाईयों की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन एक सगे भाई श्रीरामनाथ के चार पुत्र और पुत्रियां थी । श्री रामनाथ के एक पुत्र बद्रीलाल का भी देहान्त हो चुका है एवं केवल एक पुत्र श्री कृष्णावतार मौजूद है । यह भी सही है कि ब्रदीलाल के पुत्र श्री अशोक कुमार एवं रामकुमार है लेकिन वे द्वितीय श्रेणी के वारिस नहीं है । इस प्रकरण में मृतक श्री बिहारीलाल के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के कोई भी वारिस जीवित नहीं है तथा द्वितीय श्रेणी के वारिस के रूप में श्री कृष्णावतार व उसकी दो बहने जीवित है । इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है क्योंकि यदि कृष्णावतार को मृतक खातेदार श्री बिहारीलाल के मृतक भाई श्री मोतीलाल उर्फ श्री गोरीलाल के गोद जाना भी मान लें

तो भी कृष्णावतार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत श्री बिहारीलाल द्वितीय श्रेणी का वारिस है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए गए कि वे मृतक खातेदार श्री बिहारीलाल की विरासत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नये सिरे से करें ।

3. अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट कृष्णावतार गोरीलाल के गोद चला गया है तथा गोरीलाल के गोद चले जाने से रेसपोडेण्ट बिहारीलाल का वारिस नहीं माना जा सकता । इस बिन्दु पर गौर नहीं कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा ने रेस्पोडेण्ट बिहारीलाल का वारिस मानकर निर्णय पारितकरने मेंभूल की है । अपीलाण्ट अशोक कुमार जो ब्रदीलाल का लडका है एवं ब्रदीलाल और कृष्णावतार भाई है तथा कृष्णावतार गोरीलाल के यहां गोद चला गया है कृष्णावतार के गोद चले जाने से अपीलाण्ट ही बिहारीलाल का वारिस है । अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने गौर न कर अपीलाण्ट के विरूद्व निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति दो व्यक्तियों के यहां गोद नहीं जा सकता है । कृष्णावतार जब गोरीलाल के यहां गोद चला गया तो पुनः बिहारीलाल का वारिस नहीं माना जा सकता है । तहसीलदार ने विधिवत निर्णय पारित किया है ।

उनका कथन है कि एक व्यक्ति दो व्यक्तियों को गोद नहीं जा सकता है जिससे तहसीलदार का आदेश सही है । बिहारीलाल लाऔलाद फौत हो गया । कृष्णावतार को बिहारीलाल का गोद पुत्र नहीं माना जा सकता है । अतः अपील स्वीकार का अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा का निर्णय निरस्त किया जावे ।

4 हमने अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषकगण की एकपक्षीय बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया ।

5. तहसीलदार, खानपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 6–11–2003 में यह माना है कि प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा कोई रजिस्टर्ड गोद पत्र या ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसे कि गोद जाना जाहिर होता हो । मोतीलाल व रामनाथ का वारिस भी रेस्पोडेण्ट नंबर 1 कृष्णावतार ही है। तहसीलदार ने यह भी माना है कि एक व्यक्ति एक से अधिक जगह गोद नहीं जा सकता है । अतः बिहारीलाल के खाते की आराजी

श्री बद्रीलाल के फौत होने से उसके सुलभी पुत्र श्री अशोक कुमार रामकुवार के खाते दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है । खेमसुख का जो सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार जगन्नाथ, रामनाथ, गौरीलाल, बिहारीलाल सगे भाई है । गोरीलाल व बिहारीलाल दोनों ही लाऔलाद फौत हुए है । कृष्णावतार ने जो अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहां प्रस्तुत की थी उसमें यह अंकित किया है कि कृष्णावतार गोारीलाल के गोद गया है । जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई गोदनामा उपलब्ध नहीं है । बिहारीलाल भी लाऔलाद फौत हुआ है । उसका भी कोई रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं है । पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 213 दिनांक 22–3–99 मृतक मोतीलाल व व बिहारीलाल को कुंआरा फौत होना बताया है । खातेदार बिहारीलाल ने ग्राम पंचायत के निर्णय अनुसार रामनाथ के लडके कृष्णावतार को गोद ले लिया पंचायत ने माना है । बिहारीलाल मृतक का अंतिम क्रियाकर्म भी कृष्णवतार ने ही किया जाना बताया है । रिपोर्ट पर किसी भी मृतक खातेदार का गोदनामा उपलब्ध नहीं है । मृतक बिहारीलाल के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का कोई भी वारिस जीवित नहीं है और द्वितीय श्रेणी के वारिस के रूप में उसकी दो सगी बहने जीवित है । ऐसी स्थिति में न्यायालय तहसीलदार ने जो निर्णय पारित किया है उसे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सही नहीं माना जा सकता है । अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। उन्होंने प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देशित किया है कि बिहारीलाल की विरासत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नये सिरे से पारित करे।

6. उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है । अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा का 8–11–2005 यथावत रखा जाता है । तहसीलदार, खानपुरा को निर्देशित किया जाता है वे प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनकर प्रकरण का निस्तारण 3 माह में करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य